

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5669 का प्रश्न "ग" के परिपेक्ष्य में "परिशिष्ट -1"

[24/3/2021]

वन मंडल का नाम		प्रोजेक्ट का नाम	आवेदक संस्थान का नाम	प्रभावित (निजी स्वामित्व) राजस्व वनक्षेत्र हे०में	स्वीकृति पत्र क्रमांक दिनांक	अनुमति की मुख्य शर्त	क्षेत्रफल	क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भोपाल	ग्राम चंदनपुर की 2 है. निजी स्वामित्व की राजस्व वन भूमि पर शैक्षणिक संस्थान परिसर का निर्माण हेतु	करस्टुरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भोपाल	2.000	6-MPB050/2004-BHO/430 dt.4.3.2005	1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा । 2. वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता के खर्च पर समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षरोपण किया जायेगा । 3. उक्त गैरवनभूमि को आरक्षित / सरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा । 4. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्क वृक्षरोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षरोपण किया जा सके । 5. समादेश याचिका (सिविल) क्रमांक /202 /95 के अन्तर्गत आई०ए० क्र० 566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 /10 /2002 के अनुसार इस प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य उपयोगकर्ता से अधिम में वसूला जायेगा । 6. उपभोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रत्यावर्तित क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा तथा प्रस्तावित सड़क के किनारे वृक्षरोपण किया जायेगा । 7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।	2.010	एफ-25-63-2016-दस-3	दिनांक 5.8.16 प्रकाशन दि. 26.8.16
2	भोपाल	ग्राम चंदनपुर की 2 है. निजी स्वामित्व की राजस्व वन भूमि पर शैक्षणिक संस्थान परिसर का निर्माण हेतु	शारदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भोपाल	2.000	6-MPB049/2004-BHO/431 dt.4.3.2005	उपरोक्त वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षरोपण किया जा सके । 5. समादेश याचिका (सिविल) क्रमांक /202 /95 के अन्तर्गत आई०ए० क्र० 566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 /10 /2002 के अनुसार इस प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य उपयोगकर्ता से अधिम में वसूला जायेगा । 6. उपभोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रत्यावर्तित क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा तथा प्रस्तावित सड़क के किनारे वृक्षरोपण किया जायेगा । 7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।	2.000	एफ-25-63-2016-दस-3	दिनांक 5.8.16 प्रकाशन दि. 26.8.16
3	भोपाल	ग्राम चंदनपुर की निजी राजस्व वनभूमि पर छात्रावास एवं प्राचार्य निवास निर्माण बावत ।	आर.सी.चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारिका सदन 6 प्रेस कांपलेक्स भोपाल	1.840	6-MPB186/2007-BHO/2499 dt 13.10.2008	उपरोक्त वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षरोपण किया जा सके । 5. समादेश याचिका (सिविल) क्रमांक /202 /95 के अन्तर्गत आई०ए० क्र० 566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 /10 /2002 के अनुसार इस प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य उपयोगकर्ता से अधिम में वसूला जायेगा । 6. उपभोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रत्यावर्तित क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा तथा प्रस्तावित सड़क के किनारे वृक्षरोपण किया जायेगा । 7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।	1.840	एफ-25-61-2016-दस-3	दिनांक 5.8.16 प्रकाशन दि. 26.8.16
3	योग			5.840			5.850		

भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति का विवरण

प्रकरण के विरुद्ध क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु उपयोग कर्ता संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि की अधिसूचना प्रकाशन का विवरण

अनुमति अधिकारी

नन्दप्रदेश शासन

वन विभाग (दृक्ष 3)

सत्रालय, भोपाल

(बी.डी.सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कार्य आयोजना एवं वन भू-अभि., म.प्र. भोपाल

VS 5669 dt.09.03.2021